न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 15/2012

सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री बी.एस. यादव पुत्र श्री के.सी.यादव निवासी गोविन्दगढ हाल निवासी राधास्वामी सतसंग भवन के पास आशागंज, अजमेर।

2–श्री प्रहलाद पुत्र नाथू हरिजन निवासी गोविन्दगढ हाल मु0 प्रान्हेडा तहसील केकडी

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

उपस्थित :–

1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, राजकीय अभिभाषक
2. श्री डूंगर सिंह राठौड, पुष्पेन्द्र सिंह नरूका अभिभाषक अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 28.12.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 25.09.1987 को कैम्प गोविन्दगढ में आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर ग्राम गोविन्दगढ के पुराने आराजी खसरा नं0 17 मिन के भूसंशोधन (वर्किंग) खसरा नं0 15 रकबा 11–00–00 बीघा जो कि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अधिगृहित की गई में से अप्रार्थी श्री बी.एस.यादव पुत्र श्री के.सी.यादव को 06–00–00 तथा इसी नम्बर में से 05–00–00 श्री प्रहलाद पुत्र नाथू हरिजन को आवंटित की गई। दिनांक 27.05.1992 को आंवटियों को कब्जा दिया जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई थी। चौसाला खसरा नं0 17 मिन वर्किंग नं0 15 हाल खसरा नम्बर 25, 26, 25/2966 में से आवंटित की गई कुल 11–00–00 बीघा पर आवंटी श्री बी.एस.यादव पुत्र के.सी.यादव एवं प्रहलाद पुत्र नाथू हरिजन का कब्जा न होकर श्री खुर्शीद अहमद पुत्र नवाब अली मुसलमान निवासी गोविन्दगढ का कब्जा होना पाया गया। इस तथ्य की पुष्टि माननीय न्यायालय के प्रकरण सं 7/93 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.1997 एवं रिपोर्ट पटवारी गोविन्दगढ के आधार पर भी होती है। वैधानिक रूप से आवंटित भूमि पर आवंटियों का आज तक कब्जा काश्त नहीं रहा। सीलिंग प्रीमियम की कायम राशि रूपये 720/– व 600/– (प्रत्येक ने) भी इनके द्वारा आज तक अदा नहीं की है। अतः सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के आवंटन नियमो एवं शर्तो की आवंटियों द्वारा पालना नहीं किये जाने से ग्राम गोविन्दगढ के चौसाला खसरा नं0 17 वर्किंग नं0 15 हाल खसरा नम्बर 25, 26, 25/2966 में से अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि राज्य सरकार के नाम किये जाने के आदेश प्रदान कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। खातून बेगम एवं हलीमा बेगम पत्नी महरूम नवाब अली व खुर्शीद अहमद पुत्र नवाब अली जाति मुसलमान, निवासी गोविन्दगढ हाल निवासी पचौली चौराहा, अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151

28/12/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सीपीसी पर उनके अभिभाषक को सुना गया। प्रकरण में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) पर पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर दिनांक 25.09.1987 को ग्राम गोविन्दगढ के पुराने आराजी खसरा नं0 17 मिन के भू संशोधन (वर्किंग) खसरा नं0 15 रकबा 11–00–00 बीघा, सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित भूमि में से अप्रार्थी श्री बी.एस.यादव पुत्र श्री के.सी.यादव को 06–00–00 बीघा तथा श्री प्रहलाद पुत्र नाथू हरिजन को 05–00–00 बीघा भूमि आवंटित की गई। दिनांक 27.05.1992 को कैम्प गोविन्दगढ में आंवटियों को कब्जा दिया जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई। बहस जारी रखते हुए पैरोकार सरकार ने आगे कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण सं 7/93 में दिनांक 31.03.1997 को पारित निर्णय एवं पटवारी गोविन्दगढ की रिपोर्ट के आधार पर चौसाला खसरा नं0 17 मिन वर्किंग नं0 15 हाल खसरा नम्बर 25, 26 व 25/2966 में से आवंटित की गई कुल 11–00–00 बीघा पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होकर श्री खुर्शीद अहमद पुत्र नवाब अली मुसलमान निवासी गोविन्दगढ का कब्जा होना पाया गया। सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत सशर्त आवंटित भूमि के आवंटन नियमो एवं शर्तो की आवंटियों द्वारा पालना नहीं की गई तथा सीलिंग प्रीमियम की कायम राशि रूपये 720/– व 600/– भी इनके द्वारा आज तक अदा नहीं की गई है। अतः ग्राम गोविन्दगढ के चौसाला खसरा नं0 17 वर्किंग नं0 15 हाल खसरा नम्बर 25, 26 व 25/2966 में से अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि राज्य सरकार के नाम किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि का आवंटन सशर्त किया गया है। आवंटन के पश्चात विवादित भूमि पर आवंटियों का न तो कब्जा–काश्त रहा एवं ना ही इनके द्वारा सीलिंग प्रीमियम की कायम राशि ही अदा की गई। सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के आवंटन नियमो एवं शर्तो की आवंटियों द्वारा पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोविन्दगढ के चौसाला खसरा नं0 17 वर्किंग नं0 15 हाल खसरा नम्बर 25, 26 व 25/2966 में से अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीसांगन उक्त आवंटित भूमि को सिवाय चक दर्ज कर कब्जा राजहित में प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner